माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in E-mail id – ar@msuniversity.ac.in

पत्रांक 868 / प्रशा0 / MSU / 2025–26 दिनांक: 01/08/2025

सेवा में,

1. प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

2. शैक्षणिक समन्वयक
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः– लोक लेखा समिति की दिनांकः 07.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ के पत्र संख्याः–228 / सत्तर–7–2025–20(05) / 2023, दिनांकः 28 जुलाई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक लेखा समिति की दिनांकः 07.04.2025 (सामान्य अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा प्रकोष्ठ) के संबध में श्री सभापति जी द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में सामान्य अवसर प्रकोष्ठ एवं सामुदायिक शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने तथा कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 1-8-25

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. गार्ड फाईल।

सहायक कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 228 /सतर-7-2025-20(05)/2023

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय- लोक लेखा समिति की दिनांक 07.04.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आहूत बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक लेखा समिति की दिनांक 07.04.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आहूत बैठक के कार्यवृत्त में प्रस्तर संख्या 2.3.2.1 (सामान्य अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा प्रकोष्ठ) के संबध में श्री सभापति जी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये हैः-

1. ठीक है आप लोग इसका साक्ष्य दे दीजिये और प्रदेश में 61 राजकीय महाविद्यालयों में सामान्य अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित न किये जाने के कारणों से समिति को अवगत करायें और इसकी सूचना सभी मा0 सदस्यों को उपलब्ध करा दीजिये।
2. ठीक है प्रमुख सचिव जी आप शासन स्तर पर पूरे प्रदेश में यह निर्देश कर दीजिये कि शत-प्रतिशत प्रकोष्ठों पर काम किया जाय और प्रदेश में 61 राजकीय महाविद्यालयों में समान्य अवसर प्रकोष्ठ एवं सामान्य शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित न किये जाने का क्या कारण है इसे भी देख लीजिये।
3. पृष्ठ 26 पर यह निर्देश दिये हैं कि इसमें सारे प्रकोष्ठों की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में आज ही विभाग की ओर से लिखित में आदेश चला जाय कि प्रकोष्ठ की व्यवस्था की जाय और पूरे स्टाफ के साथ उसमें पूरी ब्रीफिंग रिपोर्ट 03 माह के अन्दर शासन स्तर पर आ जाये।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तर संख्या-2.3.2.1, सामान्य अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना समस्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमानुसार कार्यवाही करवाते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें

संलग्नक:(कार्यवृत्त का पृष्ठ 24 से 27 तक)।

भवदीय

(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

28/7/2025

श्री सभापति- ठीक है, पिछड़ा वर्ग अलपसंख्यक, दिव्यांग और महिलाओं का नामांकन अनुपात उस समय उपलब्ध नही कराया गया था। आप कह रहे है कि उपलब्ध करा दिया है, उसे तत्काल उपलब्ध करा दीजिए इस आशय के साथ प्रस्तर संख्या- 2.3.1 को निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

प्रस्तर संख्या- 2.3.2 (वंचित समूहों की सहायता के लिए संस्थागत तंत्र)

श्री सभापति- इस प्रस्तर मे टिप्पणी की आवश्यकता नही है इसलिए इसे निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

प्रस्तर संख्या-2.3.2.1 (समान अवसर प्रकोष्ठ और सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ)

श्री सभापति- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विगत वर्षो से समाज के सभी जाति/वर्ग आदि के छात्रों, कर्मचारियो एवं शिक्षकों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए गठित किये गए विभिन्न प्रकोष्ठों के साक्ष्य समिति को उपलब्ध कराएं। क्या आप लोगों ने इसमें प्रकोष्ठ बनाए है?

प्रो0 आलोक कुमार राय- सभापति जी, सभी प्रकोष्ठ बनाए हुए है।

श्री सभापति- ठीक है, आप लोग इसका साक्ष्य दे दीजिए और प्रदेश में 61 राजकीय महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ एवं सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ स्थापित न किये जाने के कारणों से समिति को अवगत कराएं और इसकी सूचना सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दीजिए।

प्रो0 आलोक कुमार राय- सभापति जी, हम लोग इसे सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा देंगे और 61 राजकीय महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ एवं सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने की पूरी रिपोर्ट एक माह के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0के0 वर्मा- सभापति जी, मेरा प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है। जिन वंचित समूहो की बात की जा रही है क्या उसमें विभाग ने ओ0बी0सी0, एस0सी0, माइनॉरिटी का कोई ग्रीवांस सेल बनाया है? उसमें कौन मेम्बर है और आपकी जो परीक्षा समिति तथा एडमिशन समिति है क्या उसमें ओ0बी0सी0, एस0सी0, माइनॉरिटी के मेम्बर है? अगर है तो आप उसकी रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करा दीजिए।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल- सभापति जी, मेरा भी कहना है एस0सी0, एस0टी0 के जो कर्मचारी है और स्टूडेंट है इनका ग्रीवांस सेल का यू0जी0सी0 से प्रावधान है, लेकिन यूनिवर्सिटीज् ने नहीं बनाया है। काशी विद्यापीठ ने लिखा है कि मैंने वर्ष 2021 में

Scanned with OKEN Scanner

बनाया है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय गोलमोल जवाब दे रहा है, जबकि एस0सी0, एस0टी0 का ग्रीवांस सेल अलग से नोटिफाई होता है। यह यूनिवर्सिटीज् में होना चाहिए जो कि नहीं है, जबकि एक्ट इंस्टीट्यूट में इसका प्रोविजन है कि एस0सी0, एस0टी0 का ग्रीवांस सेल गठित होना चाहिए और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी यह अपेक्षा रखता है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में यह ग्रीवांस सेल होना चाहिए।

श्री शिपू गिरी- सभापति जी, काशी विद्यापीठ ने यह समितियां गठित की है सामानान्तर रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय में भी यह समितियां गठित है, केवल लेखन शैली में अंतर है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसें नरेटिव फॉर्म में लिख दिया है।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल- सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वूमेन ग्रीवांस सेल है तो एस0सी0, एस0टी0 का भी सेल होना चाहिए।

श्री शिपू गिरी- सभापति जी, आपकी बात सही है और यह मेंडेट है और बनना चाहिए।

श्री सभापति- ठीक है, प्रमुख सचिव जी आप शासन स्तर पर पूरे प्रदेश में यह निर्देश कर दीजिए कि शत्-प्रतिशत प्रकोष्ठों पर काम किया जाए और और प्रदेश में 61 राजकीय महाविद्यालयों में सामान अवसर प्रकोष्ठ एवं सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ स्थापित न किये जाने का क्या कारण है, इसे भी देख लीजिए।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0के0 वर्मा- सभापति जी, समाप्त करने से पहले मेरा भी विषय सुन लीजिए।

श्री सभापति- ठीक है, बताइए।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0के0 वर्मा- सभापति जी, कुलपति जी ने प्रश्न का उत्तर देने के बजाए बार-बार यह कहा कि एक्ट में जो है वह हम लोग कर रहे है। हम लोगों ने पहले यह पूछा कि वित्त समिति, परीक्षा समिति और एडमिशन समिति में क्या ओ0बी0सी0, एस0सी0 तथा एस0टी0 माइनॉरिटी के मेम्बर्स है और आप उसमें कैसे समान अवसर दे पाएंगे? इसका जवाब नहीं आया।

दूसरा आप लोग एक्ट की बात कर रहे है और मुझे यह भी जानकारी है कि एक्ट में यह प्रावधान है, उसका भी आप लोगों ने अनुपालन नहीं किया है। एक्ट के अनुसार आपके यहां वनस्पति विज्ञान विभाग है, गणित विज्ञान है, हिंदी है, दर्शन शास्त्र है और अरबी विभाग है। यह ऐसे विभाग है जहां पर ओ0बी0सी0, एस0सी0 तथा एस0टी माइनॉरिटी के आरक्षित पद विशुद्ध रूप से खाली पड़े हुए है। पांच वर्ष पहले आप लोगों ने इसका विज्ञापन कराया था, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं दी है। जब एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समिति बनाई जाती है तो एसिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें जो प्रमोशन मिलना होता है उसके लिए वह समिति काम नहीं करती है। उसके लिए आप लोग फिर से दूसरी समिति

Scanned with OKEN Scanner

बनाएंगे जिस कारण से उसमें फिर से वित्तीय खर्च होगा। इसमें एक तो वित्तीय हानि होती है। विशुद्ध रूप से जो आरक्षित पद खाली पड़े हुए है आप लोग उन पदों पर कोई भर्ती नही करवाते हैं, जबकि एक्ट आपको यह नहीं कहता है कि आप खाली पदों को छोड़कर रखिए। एक्ट के अनुसार जिन लोगों का पांच वर्ष में प्रमोशन हो जाना चाहिए था...

श्री सभापति- एक मिनट मै अपनी बात कह दूं।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0के0 वर्मा- सभापति जी, हां।

श्री सभापति- प्रस्तर संख्या- 2.3.2.1 में इस पर मेरा निर्देश है कि इसमें सारे प्रकोष्ठों की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में आज ही विभाग की तरफ से लिखित में आदेश चला जाए कि प्रकोष्ठों की व्यवस्था की जाए और पूरे स्टॉफ के साथ उसमें पूरी ब्रीफिंग रिपोर्ट तीन माह के अंदर शासन स्तर पर आ जाए। इसी के साथ हमारे माननीय सदस्य आर0के0 वर्मा जी जो बता रहे हैं उसे वी0सी0 साहब आप सुन लीजिए। ठीक है, वर्मा जी अब आप अपना पूरा विषय बता दीजिए।

डॉ0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0के0 वर्मा- सभापति जी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में नियम-56 की कार्यवाही में यह शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग है, गणित विज्ञान है, हिंदी है, दर्शन शास्त्र है और अरबी विभाग है इसमें विशुद्ध रूप से जो आरक्षित वर्ग है इनके लिए जो आरक्षित पद थे उस पर अभी तक पिछले पांच-दस वर्षो से लगातार पद खाली पड़े हुए हैं उस पर कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं करी जा रही है और जब चयन समिति बनाई जाती है तो शुद्ध रूप से केवल जो एसिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं उस भर्ती करा ली जाती है, लेकिन विशुद्ध रूप से जो आरक्षित वर्ग के पद है उस पर रोक लगा दी जाती है। इसमें इक्वेल एपॉर्चिनिटी कैसे हो पाएगी? इस पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें डा0 अरसद अली जाफरी जो न्यायालय का एक आदेश लेकर आए थे उस आदेश में न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि पांच वर्ष पूर्व इनका प्रमोशन हो जाना चाहिए था। इनका विभाग ओरिएंटल पार्शियन विभाग है और विश्वविद्यालय इनका प्रमोशन करे। दूसरा रविकांत हिंदी विभाग में है इनके प्रमोशन का भी मामला आया था कि तीन-चार वर्ष पूर्व इनका प्रमोशन हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। एक ललित कला संकाय आपके यहां है, जिसमें डा0 लालजीत अहीर दूसरे डा0 उमेश सक्सेना हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक शिक्षक पूरे जीवन काम करता है, लेकिन वह एक भी प्रमोशन प्राप्त किए बगैर रिटायर हो गये। क्या इसमें एक्ट का अनुपालन हो रहा है।

दूसरा एक मामला हाउस में भी आया था, प्रोफेसर संगीता साहू जिनका व्यापार प्रशासन विभाग है इनकी शैक्षिक पात्रता पर सवाल करके प्रमोशन रोक दिया गया

Scanned with OKEN Scanner

था। इनका प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर होना चाहिए था, लेकिन शैक्षिक पात्रता नही कहकर इन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। क्या एक्ट यह कहता है और गर्वनर ने जिसे कैंसिल किया था, जिस पर रोक लगाई थी उसकी भी अवमानना हो गई है। श्री पाण्डेय के एक ही पद पर दो-दो लोगों को नियुक्त किया गया और इनकी नियुक्ति मूल नियुक्ति के तीन साल पहले से दिखाई जा रही है। तीसरा वाणिज्य विभाग में अवधेश कुमार जी की नियुक्ति काल्पनिक है। इन सभी प्रकरणों की जांच कराकर अगली बैठक में समिति के समक्ष जरूर आ जाना चाहिए।

श्री सभापति- जैसा कि डा0 आर0के0 वर्मा जी ने लखनऊ युनिवर्सिटी से सम्बन्धित विवाद उठाए है मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया यह बहुत गंभीर विषय है। प्रमुख सचिव जी आपसे और वी0सी0 साहब आपसे भी हम कहेंगे आप इसे देख लें कि यह आपके संज्ञान में है कि नहीं है। आप लोग इस पर उचित कार्रवाई कर दें और अगर कोई दोषी है तो उस पर तत्काल विधिक कार्रवाई करके समिति के सम्मुख उसकी रिपोर्ट भी दे दें और आप लोग माननीय सदस्य से मिलकर और जानकारी करना चाहते है तो वह भी कर लें।

ठीक है, प्रस्तर संख्या- 2.3.2.1 अभी लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

Scanned with OKEN Sc